न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0–272/2026
मिशन थाना कांड सं0–14/2026
बिहार राज्य बनाम् राजा कुमार।

राजा कुमार, पे0 अश्वनी कुमार सिंह, लगभग 28 वर्ष,
साकिन–रामपुर सिन्डाय, थाना–मिशन, जिला–शेखपुरा ....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री विरेन्द्र कुमार, (Chief, LADCS) विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

25.03.2026 काराधीन अभियुक्त राजा कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। मिशन थाना कांड संख्या–14/2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में बिल्कुल निर्दोष है। बल्कि इन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में मिशन थाना कांड सं0–223/2024, मिशन थाना 87/2024 शराब पीने का मुकदमा दर्ज है। प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत शराब पीने का आरोप दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक शराब का सेवन नहीं करता है। आवेदक को झूठा फंसाने का कार्य किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है मिशन थाना दिनांक 24.02.2026 को समय करीब 22:00 बजे रात्रि गश्ती से थाना प्रस्थान किया था। गश्ती के क्रम में सिन्डाय मुख्य सड़क पर समय करीब 23:05 बजे पहुंचे ही थे कि एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा था। वहां पहुंचते

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0–272/2026
मिशन थाना कांड सं0–14/2026
बिहार राज्य बनाम् राजा कुमार।

लगातार

28.02.2026 ही शराब के नशे में हंगामा कर रहे व्यक्ति को शराबी के परिजन पुलिस बल को देखते ही शराब के नशे में सुपुर्द किये। तत्पश्चात् उस व्यक्ति को विधिवत तलाशी लिया गया तो पहने हुए कपड़ा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद कब्जे में लिये गये शराबी को साथ लेकर थाना आये। थाना आकर शराब के नशे में कब्जे में लिए हुए व्यक्ति का ब्रेथएनालाइजन मशीन से जांच किया तो जांच परिणाम पाया गया। शराब के नशे में व्यक्ति ने अपना नाम राजा कुमार पिता अश्वनी कुमार सिंह उर्फ फोटु सिंह बताया। मिशन थानाभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि शराबी राजा कुमार पिता अश्वनी कुमार सिंह उर्फ फोटु सिंह ग्राम सिन्डाय थाना मिशन जिला शेखपुरा 1. मिशन थाना सन्हा सं0–223/24 दिनांक 13.09.2024 एवं 2. मिशन थाना सं0–87/24 दिनांक 28.12.2024 में भी शराब पीने का आरोप में सन्हा एवं थाना कांड दर्ज किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। प्राथमिकी धारा 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत तीसरी बार शराब पीने का आरोप दर्ज किया गया है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का एक जमानततार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 25–03–2026.

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 रवीन्द्र कुमार
जमानत आवेदन सं0–272/2026
मिशन थाना कांड सं0–14/2026
बिहार राज्य बनाम् राजा कुमार।

Date Of Judgement/Order	25-03-2026
Date Of Reserving Judgement/Order	25-03-2026
Uploading date	26-03-2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary